

1978 My Vows

In Veer Vani

श्री हीरालाल शास्त्री व्यावर

नम्र-निवेदन और व्यत ग्रहण :

इसो भावणी धमावस्था को मैं पूरे ७२ वर्ष का हो गया हूँ। ७० महावीर स्वामी तो ७२ वर्ष में कर्म-बन्धन से मुक्त होकर अपने अभीष्ट स्थान को चले गये थे, परन्तु मैं सविस के बन्धन से भी मुक्त होकर अपने अभीष्ट स्थान (जन्म भूमि) पर भी नहीं जा पा रहा हूँ। शायद देव को मेरा यही रखना प्रभीष्ट है। अतएव मैंने संस्था के काम और आपत्कालीन परिस्थिति को छोड़कर अग्रेल सन् ७७ तक व्यावर से बाहिर नहीं जाने का नियम (देश-व्रत) स्वीकार किया है। इस बीच पशुपत्य पर्व पर बुलाने के लिए अकलतरा, सतना, इलाहाबाद, आगरा के तो निमंत्रण पत्र आगये हैं, और संभवतः यह निवेदन प्रकाशित होने तक और भी स्थानों के आजावेंगे। उन सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि उक्त सभी स्थानों के धर्म प्रेमी और मेरे स्नेही बन्धु मुझे क्षमा करें। आत्म-शांति के लिए मैंने नवंबर में बरेल के दरभ ही तारंगमज ७ वजे से प्रातः ७ वजे तक मोन रखने का नियम लिया है। इसके प्रतिरिक्त प्रत्येक प्रष्टमी और वतुर्दशी को यावज्जीवन मोन रहेगा। इस वर्ष के पशुपत्य पर्व पर दशों ही दिन अखण्ड मोन रहेगा। इसलिए कहीं की भी समाज मुझे पशुपत्य, प्रष्टालिका आदि किसी भी पर्व या अवसर विशेष पर बुलाने का कष्ट न उठावें। अपने अपूरे कार्यों को पूरा करने की व्यस्तता से मुझे किसी के आगत पत्र को उत्तर देना भी संभव नहीं है। अतः बुलाने की निमंत्रण पत्र भेजने वाले सज्जनों से मैं क्षमा याचना करता हूँ।

व्रत ग्रहण—यद्यपि समन्तभद्र-प्रतिपादित पांच व्रत और तीन प्रकार के परित्याग रूप व्रत मूलगुण सन् ३५ में आ० सूर्यसागरजी महा-राज को आहार दान के पश्चात् ग्रहण किये थे, परन्तु उनका निरतिचार पालन संभव नहीं हो सका। आज से उनका निरतिचार पालन करूँगा। उस समय की गई परित्यह-परिमाण की सीमा को भी सन्तान-वृद्धि और मंहगाई आदि के कारण उत्तरोत्तर बढ़ाते जाना पड़ा। किन्तु आज से वर्तमान आय-स्रोतों के विवाय नवीन अधोपार्जन का परित्याग करता हूँ।

आज से तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत शील-सप्तक को निम्न प्रकार से स्वीकार करता हूँ—

(१) भारत के बाहर जीवन-पर्यन्त नहीं जाऊँगा (विश्रत)

(२) संस्था के कार्य और आपत्कालीन परिस्थिति को छोड़कर अग्रेल सन् ७७ तक व्यावर से बाहिर नहीं जाऊँगा (देशव्रत)

(३) सर्व प्रकार के अनयंदश्यों का यावज्जीवन के लिए परित्याग (अनयंद श्रवत)

(४) प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल १-२ घंटे सामायिक करूँगा। (सामायिकव्रत)

(५) प्रष्टमी और वतुर्दशी को एकापन और २ बार पशुग्रहण करूँगा, तथा २४ घंटे मोन रहूँगा। (शोधव्रत)

(६) सस्त बीमारी में जल और शोधन के अपवाद को छोड़ कर रात्रि में यावज्जीवन के लिए चारों प्रकार के आहार का परित्याग। नवीन वस्त्र सिलाने का त्याग, घोड़ी के यहाँ कपड़े धुलाने का त्याग, यदि नवीन वस्त्र खरीदना ही पड़ेगा तो सादी के ही खरीदूँगा। स्नान और वस्त्र-प्रक्षालन भी धनछरे जलसे नहीं करूँगा। हाथ बन्धी का घाटा और कुएँ का जल ही खाने-पीने के काम में लूँगा। कन्दमूलादि सभी प्रकार के भक्षयों का, बाजार की बनी सभी प्रकार की मिठाइयों, नमकीन वस्तुओं और आचार-युरब्बा आदि का जीवन-पर्यन्त के लिए परित्याग करता हूँ। धी,

[४७२]

दूब भी विश्वस्त व्यक्ति के यहाँ का काम में लूँगा। (भोगोपभोग परिमारण)

(७) चौथा शिक्षाव्रत प्रतिधि संविभाग है, सुपायों का प्रतिदिन लगभग दुर्लभ है। अतः १ अगस्त सन् ७६ से १ एप्रैल रूपया प्रतिदिन, अर्थात् ३० मासिक उन संस्थाओं को सविस रहने तक भेजता रहूँगा, जिनमें कि छात्रालय हैं। उनमें से १० मासिक जन्मभूमि (साङ्गनल) के छात्रालय को, १० मासिक दक्षिण प्रान्त के जैन गुरुकुलों को और १० मासिक उत्तर-प्रान्त के छात्रालयवाले विद्यालयों और गुरुकुलों को क्रमशः भेजूँगा।

मैं अपने बन्धों और पुस्तकों के सिवाय शेष सभी सम्पत्ति का परित्याग करता हूँ। उसके स्वामी पत्नी और पुत्र रहेंगे। सविस से विमुक्त होने के बाद घर से केवल भोजन मात्र का सम्बन्ध रहेगा।

